

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000422015

दांडिक प्रकरण क.-44 / 15

संस्थापित दिनांक-17.03.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-बृजेंद्र सिंह पुत्र गेंदालाल लोधी उम्र 27 साल निवासी गोरा सेहराई, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 । <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	:- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 18.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 354, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है ।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354, 456 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी पार्वतीबाई ने दिनांक 26.02.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने कमरे का किबाड लगाकर सो रही थी उसका पति मजदूरी के लिए बाहर गया था, कमरे में लाइट जल रही थी तभी बृजेंद्र सिंह किबाड में धक्का देकर अंदर आ गया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर उसकी छाती दबा दी, जब वह चिल्लाई तो पास के कमरे में सो रहे जेठ आ गए जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। आरोपी भागते समय कह रहा था कि अगर रिपोर्ट करने गए तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 456, 354, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354, 506 भाग—दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.02.2015 को समय रात 02.00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम गोरा सेहराई में फरियादी पार्वतीबाई के घर में घुसकर रात्रि गृहभेदन कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया पार्वतीबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर व छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 पार्वतीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 पार्वतीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह घर पर सो रही थी तब आरोपी घर के बाहर गाली गलौच कर रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके घर में घुसकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले के फरियादी ने अपने कथनों में इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने रात्रि में उसके घर में घुसकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा था। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक को फरियादिया के घर में घुसकर उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि

अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354, 456 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)